

प्रेस नोट थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 31.07.2025

01 अदद अवैध देशी पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन के साथ एक नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष बड़हलगंज के नेतृत्व में व030नि0 कृष्ण कुमार गुप्ता मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 474/2025 धारा 191(2),352,351(3),125 भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित 01 नफर बाल अपचारी को 01 अदद अवैध देशी पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन के साथ पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 9/25 आर्म्स एक्ट की बढोतरी की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

पुरानी रंजिश को लेकर वादी मुकदमा को गाली देते हुए बाल अपचारी द्वारा पिस्टल निकालकर जमीनी फायर करते हुए जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अभिरक्षा-

01 नफर बाल अभिचारी

अभिरक्षा में लिए गए अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 474/2025 धारा 191(2),352,351(3),125 भा0न्या0सं0 व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

01अदद अवैध देशी पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन

पुलिस अभिरक्षा की टीम-

1. 30नि0 कृष्ण कुमार गुप्ता थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
4. का0 देवेन्द्र चौहान थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
5. का0 नवीन शुक्ला थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर